माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल रिवेन्यु बोर्ड ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक / 2014 निगरानी निग-1791-I-14

श्री .... द्वारा आज दि. 10/6/14 को न्यायालय में प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

01. देवीलाल पिता भंवरलाल जी पाटीदार उम्र– 30 वर्ष, जाति–पाटीदार, धन्धा–कृषि,
02. भंवरलाल पिता नन्दराम जी पाटीदार उम्र– 54 वर्ष, जाति–पाटीदार, धन्धा–कृषि
निवासीगण–ग्राम कमठाना तहसील खाचरौद जिला उज्जैन (म.प्र.)

-----आवेदकगण/अनावेदकगण

विरूद्ध

प्रकाशचन्द्र पिता कालूराम जी उम्र– 35 वर्ष जाति–पटीदार, धन्धा–कृषि निवासी–ग्राम कमठाना तहसील खाचरौद जिला उज्जैन (म.प्र.)

------अनावेदक/आवेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिताश्रीमान तहसीलदार महोदय खाचरौद के न्यायाल के प्रकरण क्र 6/अ–13/2012–13 प्रकाशचन्द्र विरूद्ध देवीलाल आदि में पारित आदेश दिनांक 27/05/2014 से असंतुष्ट एंव दुखित होकर यह निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से अनावेदक के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित अनुसार यह निगरानी सादर प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

01. यह कि, अनावेदक ने आवेदकगण के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय खाचरौद के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व संहिता एंव साथ में एक प्रार्थना पत्र धारा 32 भू–राजस्व संहिता का प्रस्तुत किया था। जो प्रकरण क्र 6/अ–13/2012–13 प्रकाशचन्द्र विरूद्ध देवीलाल आदि पर कायम होकर इस प्रकरण में माननीय अधीनस्थ योग्य न्यायालय के द्वारा आवेदकगण को आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का संमंश जारी किया गया था। जो संमंश आवेदकगण पर सर्व नहीं

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1791-एक/14 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	